

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-274

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

*274. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ऊर्जा संरक्षण के संबंध में देश का कार्य-निष्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में संतोषजनक नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने से कितनी सफलता मिली है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम” के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 274 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : ऊर्जा संरक्षण के संबंध में भारत का कार्य-निष्पादन विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 से 2020 तक की अवधि के दौरान भारत की औसत वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग 2.4% रही है, जबकि इसी अवधि में मेगा जूल/यूएसडी (2015 क्रय शक्ति समता) के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता सुधार की वैश्विक औसत दर केवल 1.4% थी।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण संबंधी प्रमुख कार्यक्रम, निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार, उपकरणों की मानक और लेबलिंग स्कीम, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला) स्कीम, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना आदि हैं। इन कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

विभिन्न ऊर्जा दक्षता स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से 50.81 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) की कुल ऊर्जा बचत हुई है, जो वर्ष 2022-23 के लिए देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 6.87% है, जो वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 1,88,000 करोड़ रुपये की मौद्रिक बचत और CO2 उत्सर्जनों में 307 मिलियन टन (लगभग) की कमी को दर्शाता है।

“ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम” के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 274 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) एवं (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

क्रियान्वित किये जा रहे ऊर्जा संरक्षण संबंधी प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं-

- i. **निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार:** बड़े ऊर्जा गहन क्षेत्रों के संबंध में, सरकार निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) नामक एक प्रमुख कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम में अक्टूबर, 2023 तक 13 क्षेत्रों से 1333 इकाइयों को कवर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 25.9 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई है, जिससे वार्षिक रूप से लगभग 110.67 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचा जा सका है।
- ii. **मानक तथा लेबलिंग स्कीम:** उपकरण क्षेत्र में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की मानक तथा लेबलिंग (एसएंडएल) स्कीम उपकरणों/उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्य-निष्पादन मानदंड निर्धारित करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रमुख ऊर्जा खपत वाले उपकरणों को सबसे दक्ष उपकरण के रूप में 5 स्टार के साथ 1 से 5 तक स्टार रेटिंग दी जाती है। स्टार लेबल के आधार पर, उपभोक्ता को ऊर्जा कुशल उपकरणों की खरीद के संबंध में सूचित विकल्प चुनने की सुविधा प्राप्त होती है जिससे विद्युत की खपत में बचत होती है। अक्टूबर, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम में एस एंड एल कार्यक्रम के अंतर्गत 35 उपकरण शामिल हैं। वर्ष 2022-23 में, इस स्कीम से 81.6 बिलियन यूनिट विद्युत की बचत और 49,017 करोड़ रुपये की लागत की बचत हुई है।
- iii. **उन्नत ज्योति बाए अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला):** इस स्कीम के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा इसकी शुरुआत से लेकर अब तक वितरित ऊर्जा दक्ष एवं किफायती एलईडी बल्बों तथा एलईडी ट्यूब लाइटों की कुल संख्या क्रमशः 36.87 करोड़ और 72.19 लाख है। उजाला स्कीम के परिणामस्वरूप एलईडी उद्योग में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे वार्षिक रूप से लगभग 70 करोड़ एलईडी बल्ब का बाजार सृजित हो सका है। इससे वर्ष 2015 में उजाला स्कीम की शुरुआत के बाद से मार्च, 2023 तक 419 करोड़ एलईडी बल्बों और 151 करोड़ एलईडी ट्यूब लाइटों का संचयी वितरण हुआ है। इस पहल के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 176.19 बिलियन यूनिट विद्युत की अनुमानित बचत और प्रति वर्ष 70,477 करोड़ रुपये की लागत बचत हुई है।
- iv. ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भवन क्षेत्र को मोटे तौर पर वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्यिक भवनों के लिए वर्ष 2017 में अद्यतित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का शुभारंभ किया गया था। इको-निवास संहिता (ईएनएस) आवासीय क्षेत्र से संबंधित है, और इसे प्राथमिकता पर शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ईसीबीसी का प्रकाशन किया गया है। अक्टूबर 2023 तक, ऐसे 24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय जलवायु परिस्थितियों के आधार पर ईसीबीसी को अधिसूचित किया है।
- v. परिवहन क्षेत्र में, कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों में प्रोत्साहन के साथ-साथ पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों में दक्षता में सुधार करना; विद्युत गतिशीलता को अपनाना; और रेलवे में मोडल शिफ्ट शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2997

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

बीईएसएस हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण

2997. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2030-31 तक विकसित की जाने वाली 4,000 मेगावाट घंटे की बैटरी-ऊर्जा भंडारण क्षमता को सहायता प्रदान करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार 9,400 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने वाली कंपनियों को पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन और बीईएसएस योजना के विकास के लिए वित्तपोषण प्रदान करेगी, जिसमें 3,760 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता भी शामिल है और जिसमें बीईएसएस परियोजना क्षमता का न्यूनतम 85 प्रतिशत विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा और उद्योग की मदद करने के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से वीजीएफ अनुदानों के लिए बीईएसएस डेवलेपर्स का चयन किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकारी कंपनियों द्वारा वीजीएफ के हिस्से और अब तक आगे आने वालों को दी गई राजसहायता का राज्य/निजी संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हां। सरकार ने 4,000 मेगावाट्स घंटे (एमडब्ल्यूएच) की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को मंजूरी दे दी है।

इस स्कीम के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा बीईएसएस के लिए पूंजीगत लागत का 40% तक की सीमा तक वीजीएफ प्रदान किया जाएगा। बीईएसएस के विकास के लिए स्कीम और बोली दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा संचालित की जाने वाली बोली प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं का चयन किया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को 3 वर्ष (वर्ष 2023-24 से 2025-26) की अवधि के दौरान अनुमोदित किया जाएगा तथा इस स्कीम को डिस्काओं के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, वीजीएफ-वित्त पोषित बीईएसएस परियोजनाओं से विद्युत का कम से कम 85% अन्व्यों को उपलब्ध कराने से पहले डिस्काओं को दी जाएगी।

(घ) : वीजीएफ स्कीम के अंतर्गत विकासकर्ताओं का चयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3009

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण

3009. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक घर में बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि देश के कई जनजातीय गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं;
- (घ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित उन जनजातीय गांवों का ब्यौरा क्या है, जहां राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार बिजली उपलब्ध कराई गई है; और
- (ङ) देश भर में बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिले-वार कितने जनजातीय लोगों को बिजली प्रदान की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों, जिसमें कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा देश भर के गांवों के विद्युतीकरण हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की। इस स्कीम के अंतर्गत कार्य पूरे हो चुके हैं तथा यह स्कीम समाप्त हो चुकी है। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। इस स्कीम के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

तत्पश्चात, भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों एवं शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुरू की।

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से, दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित किये गए सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, सौभाग्य की शुरुआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 4.43 लाख अतिरिक्त घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से कुल 2.86 करोड़ घरों (आदिवासी परिवारों सहित) का विद्युतीकरण किया गया है। यह स्कीम समाप्त हो चुकी है।

नए घरों का निर्माण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, किन्हीं छूटे हुए घरों, जो दिनांक 31.03.2019 (सौभाग्य के कार्यान्वयन की अवधि) से पहले मौजूद थे, लेकिन किसी तरह डिस्कॉमों द्वारा छूट गए थे, के विद्युतीकरण हेतु चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को समर्थन दे रही है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के विद्युतीकरण हेतु लगभग 4.96 लाख छूटे हुए घरों को मंजूरी प्रदान की गई है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	प्रस्तावित घरों की संख्या	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
राजस्थान	1,90,959	459.18
उत्तर प्रदेश	2,99,546	338.46
आंध्र प्रदेश	5,577	16.00

इसके साथ-साथ, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी अभिचिन्हित किए गए लाभार्थी परिवार दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु पात्र हैं।

(ख) से (घ) : जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों (आदिवासी गांवों सहित) को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। जनगणना गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ङ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से सितंबर, 2017 तक विद्युतीकृत बीपीएल परिवारों के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सौभाग्य की शुरुआत (अक्टूबर, 2017) से दिनांक 31.03.2022 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घरों सहित विद्युतीकृत घरों के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

जनजातीय लोगों का कोई विभाजन नहीं किया गया है तथा सभी घरों, बीपीएल श्रेणी के परिवारों सहित, को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे, क्योंकि इस स्कीम ने देश भर के सभी घरों में विद्युत की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3009 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ़	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18374

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 3009 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2015 से सितंबर 2017 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत कुल बीपीएल परिवारों की राज्यवार उपलब्धि		
क्र.सं.	राज्य	कुल विद्युतीकृत बीपीएल घर
1	आंध्र प्रदेश	664851
2	असम	101537
3	बिहार	1976832
4	छत्तीसगढ़	63756
5	गुजरात	813
6	जम्मू एवं कश्मीर	1133
7	झारखंड	12391
8	कर्नाटक	98821
9	केरल	24993
10	मध्य प्रदेश	561262
11	महाराष्ट्र	59
12	मेघालय	95
13	मिजोरम	447
14	नागालैंड	507
15	ओडिशा	103857
16	राजस्थान	149854
17	सिक्किम	1850
18	तमिलनाडु	1976
19	तेलंगाना	849
20	त्रिपुरा	41759
21	उत्तर प्रदेश	1082986
22	उत्तराखंड	46
23	पश्चिम बंगाल	34450
	कुल	4925124

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 3009 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त संस्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अधिक अतिरिक्त विद्युतीकृत घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930	0	1,81,930			1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	480249	381507	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791	21981	2577	7,92,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045	0	3,77,045			3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798			3,83,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	21135	0	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839	0	1,99,839	420	401	2,00,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	1,32,507	0	1,32,507	7009	7009	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	5,15,084	0	5,15,084			5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090	0	1,39,090			1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751	0	2,48,751			2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290	0	7,32,290			7,32,290
कुल		2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424

* सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3029

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण

3029. श्री अजय कुमार मंडल:

श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

श्रीमती नवनित रवि राणा:

श्री सुनील कुमार पिन्टू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) हरियाणा के सोनीपत जिले सहित देश भर में विद्युतीकरण अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) यदि नहीं तो देश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) इसे कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और
- (च) पिछले वर्षों और चालू वर्ष के दौरान काराकाट, अमरावती, सिंहभूम, सीतामढ़ी, भागलपुर और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था और आपूर्ति में सुधार के लिए विभिन्न कार्यों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और खर्च की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण और प्रत्येक गांव को विद्युत से जोड़ने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) कार्यान्वित की है जिसमें कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन, भूमिगत केबलिंग और एरियल बंचड केबलिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत आवासित गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। हरियाणा राज्य ने डीडीयूजीजेवाई के आरंभ से पूर्व अपने गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। इस स्कीम के दौरान देश के कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। विद्युतीकृत गांवों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

तत्पश्चात, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की।

सौभाग्य के अंतर्गत, सभी राज्यों (हरियाणा सहित) ने, दिनांक 31.03.2019 से पूर्व अभिचिन्हित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य की शुरुआत से हरियाणा के सोनीपत जिले के 682 घरों सहित देश के कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है। विद्युतीकृत घरों के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

नए घरों का निर्माण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, किन्हीं छूटे हुए गैर-विद्युतीकृत घरों का, जो दिनांक 31.03.2019 (सौभाग्य के कार्यान्वयन की अवधि) से पहले मौजूद थे लेकिन किसी वजह से डिस्कॉम द्वारा छूट गए थे, चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य के लगभग 4.96 लाख छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	प्रस्तावित घरों की संख्या	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
राजस्थान	1,90,959	459.18
उत्तर प्रदेश	2,99,546	338.46
आंध्र प्रदेश	5,577	16.00

इसके साथ-साथ, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित, सभी राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी अभिचिन्हित लाभार्थी परिवार इन दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं।

(ग) से (ङ) : भारत में विद्युत क्षेत्र पिछले नौ वर्षों में विद्युत की कमी वाले देश से पर्याप्त विद्युत वाले देश में परिवर्तित हो गया है। विभिन्न स्रोतों से कुल 1,93,794 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की गई है। उत्पादन क्षमता मार्च, 2014 में 2,48,554 मेगावाट से 70 प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 4,25,536 मेगावाट हो गई है।

इसके अलावा, 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,82,767 एमवीए की रूपांतरण क्षमता और 80,590 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है जिसने देश को एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट अंतरण की सक्षमता सहित पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एकल ग्रिड से जोड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त, आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉमों की एटीएंडसी हानियां वर्ष 2014-15 में 25.72% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.41% (अनंतिम) हो गई हैं।

वितरण क्षेत्र की उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत, 1.85 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं निष्पादित की गई थीं जिसके अंतर्गत, राज्यों में 2927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है और 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। वर्ष 2023 में शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़कर 23.78 घंटे हो गई है।

भारत सरकार ने देश के विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढीकरण के लिए केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2021 में 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय से चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) को भी मंजूरी प्रदान की। इस स्कीम के कार्य-निष्पादन की अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के साथ-साथ 24x7 विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ राज्य विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

(च) : सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। पिछली किस्तों में जारी निधियों के सूचित उपयोग और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां किस्तों में जारी की गई थीं। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम-वार सौभाग्य स्कीम मंजूर की गई थी और संबंधित डिस्कॉमों को अनुमोदित कार्य के लिए निधियां जारी की गई थीं। आईपीडीएस के अंतर्गत सर्किल-वार कार्य संस्वीकृत किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और आरडीएसएस के अंतर्गत पिछले वर्षों और चालू वर्ष के दौरान काराकाट, अमरावती, सिंहभूम, सीतामढी, भागलपुर और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली और आपूर्ति में सुधार के लिए विभिन्न कार्यों के लिए संस्वीकृत और वितरित निधियों की मात्रा के ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ़	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18374

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त संस्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अधिक अतिरिक्त विद्युतीकृत घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	200,000	19,45,149	480249	381507	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	15,30,708	200,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	18,62,736	212,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	1,200,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
कुल		2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424

* सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत और संवितरित निधियां

क्र. सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	शामिल किए गए जिले	समापन लागत (करोड़ रुपये में)		वितरित किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)		उपयोग किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)	
				आरई*	डीडीयूजीजेवाई	आरई*	डीडीयूजीजेवाई	आरई*	डीडीयूजीजेवाई
1	बिहार	काराकट	रोहतास	-	248.66	-	149.68	100%	
			औरंगाबाद	236.61	253.52	171.07	152.59		
		सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	116.61	195.84	97.74	117.89		
		भागलपुर	भागलपुर	183.9	88.62	165.53	28.23		
2	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती	-	76.97	-	40.57		
3	झारखंड	सिंहभूम	पश्चिम सिंहभूम	-	212.91	-	128.17		
			सराईकेला	29.18	114.69	26.27	69.01		
			खरसावन						
4	हरियाणा	सोनीपत	सोनीपत	-	10.19	-	6.13		
			जींद	-	18.43	-	11.1		
*परियोजनाएं वर्ष 2014 के बाद अवार्ड की गईं									

आईपीडीएस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत और संवितरित निधियां

क्र. सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	शामिल किए गए सफल	समापन लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा पात्र अनुदान (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा कुल वितरित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	बिहार	काराकट	सासाराम तथा गया ओल्ड	174	104	104
		सीतामढ़ी	मुजफ्फरपुर	150	90	90
		भागलपुर	भागलपुर तथा भागतपुर (एन)	140	84	84
2	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती	121	72	72
3	झारखंड	सिंहभूम	चाईबासा	40	24	24
4	हरियाणा	सोनीपत	सोनीपत	5	3	3

आरडीएसएस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत और संवितरित निधियां

क्र.सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	शामिल किए गए जिले	संस्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा पात्र अनुदान (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा कुल वितरित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	बिहार	काराकट	रोहतास तथा औरंगाबाद	420.86	252.52	25.25
		सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	147.36	88.42	9.28
		भागलपुर	भागलपुर	188.56	113.14	11.31
2	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती	290	174	9
3	झारखंड	सिंहभूम	पश्चिम सिंहभूम तथा सराईकेली	155	93	5
4	हरियाणा	सोनीपत	सोनीपत	141	84	4

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3037

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

पंप चालित भण्डारण परियोजनाएं

3037. श्री जुएल ओराम:

श्री जगदम्बिका पाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में पंप चालित भण्डारण परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) को अनुमोदित किया है अथवा आरंभ करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिशा-निर्देश अब तक जारी किए जाने की संभावना है;
- (ग) क्या सरकार नामांकन के आधार पर निजी क्षेत्र को पीएसपी के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्यों से परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) देश में वर्तमान में कार्यरत पीएसपी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता और स्थान का ब्यौरा क्या है; और
- (च) आरंभ की गई और वर्तमान में निर्माणाधीन नई पीएसपी का ब्यौरा क्या है और उनके पूरा होने की संभावित समय-सीमा, क्षमता और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पम्पड भंडारण परियोजनाओं के भंडारण की स्तरीकृत लागत आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। इसलिए, पम्पड भंडारण परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को देश में पम्पड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। उपरोक्त दिशानिर्देशों में नामांकन के आधार पर निजी क्षेत्र को पीएसपीयों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

वर्तमान में, नामांकन के आधार पर निजी क्षेत्र को पीएसपीयों के आवंटन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) : वर्तमान में देश में प्रचालनरत पीएसपीयों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(च) : वर्तमान में, देश में चार (4) 2780 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले पीएसपी निर्माणाधीन हैं। इसके ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3037 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान में देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्थापित पीएसपी निम्नानुसार हैं

क्रम सं.	स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
गुजरात		
1	कडाना*	240
2	सरदार सरोवर आरबीपीएच*	1,200
महाराष्ट्र		
3	घाटगढ़	250
4	भीरा	150
तमिलनाडु		
5	कदमपराई	400
आंध्र प्रदेश		
6	एन जे सागर	705.6
7	श्रीशैलम एलबीपीएच	900
पश्चिम बंगाल		
8	पुरुलिया	900
	कुल	4,745

टिप्पणी: वर्तमान में कडाना पीएसपी और सरदार सरोवर आरबीपीएच पंपिंग मोड में चालू नहीं हैं।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3037 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान में निर्माणाधीन पीएसपी निम्नानुसार हैं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थिति	नदी/घाटी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग का संभावित वर्ष
1	टिहरी पीएसएस	उत्तराखंड	गंगा	1000	2024-25
2	पिन्नापुरम	आंध्र प्रदेश	पेन्नार	1200	2024-25
3	कुंडाह पीएसपी चरण-I, II और III	तमिलनाडु	कावेरी	500	2024-25
4	कोयना लेफ्ट बैंक*	महाराष्ट्र	कृष्णा	80	2027-28
		कुल		2,780	

टिप्पणी: वर्तमान में कोयना लेफ्ट बैंक में निर्माण गतिविधियां रुकी हुई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3038

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

बायोमास पेलेट के प्रयोग हेतु कीमत विनियमन नीति

3038. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण अनुकूल ईंधन की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बायोमास पेलेट के लिए अधिक सुदृढ़ बाजार को बढ़ावा देने और कच्चे बायोमास की अस्थिर कीमतों को स्थिर करने में मदद करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमास पेलेट के लिए मूल्य विनियमन नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अधिक संगठित और न्यायसंगत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार स्थापित करने, सतत ऊर्जा विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : संधारणीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने और विकसित करने की दृष्टि से और साथ ही साथ ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ को-फायरिंग के लिए बायोमास पेलेटों की तेजी से खरीद सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा दिनांक 23.08.2023 और दिनांक 08.11.2023 को नॉन-टॉरीफाइड बायोमास पेलेटों के लिए बेंचमार्क मूल्य जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), उत्तरी क्षेत्र (एनसीआर को छोड़कर) और पश्चिमी क्षेत्र के लिए बेंचमार्क कीमतें क्रमशः 2.32 रुपये, 2.27 रुपये और 2.24 रुपये प्रति 1000 किलो कैलोरी (पेलेट विनिर्माण संयंत्र स्थल से ताप विद्युत संयंत्र तक परिवहन लागत एवं जीएसटी को छोड़कर) तय की गई हैं। इससे बाजार में कच्चे बायोमास की कीमतों में भी स्थिरता आएगी।

(ग) : सरकार ने देश में सतत ऊर्जा विकास, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने और अधिक संगठित एवं न्यायसंगत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार स्थापित करने के लिए आवश्यकतानुसार, समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- i. विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन) नियम, 2022 जारी किए गए हैं और खुली पहुंच की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है, जिससे छोटे उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा नहीं है।
- ii. "केंद्रीय पूल के लिए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ" के कार्यान्वयन के लिए विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं।
- iii. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के आदेश के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, आरई क्षमता अभिवर्धन बढ़ाने और वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 'नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से ताप/जल विद्युत केंद्रों के उत्पादन और शेड्यूलिंग में लचीलेपन' के लिए संशोधित स्कीम जारी की।
- iv. देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सौर, पवन, हाइड्रो-पम्पड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी), और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) से उत्पादित विद्युत के लिए एक निश्चित अवधि के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट प्रदान की गई है।
- v. सरकार ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं सहित सभी नामित उपभोक्ताओं को, अधिसूचना में उल्लिखित ट्रेजेक्ट्री के अनुसार, अपनी विद्युत खपत के एक विशिष्ट हिस्से को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रतिस्थापित करने के लिए अनिवार्य किया है।
- vi. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27 फरवरी, 2023 के आदेश के अंतर्गत यह अनिवार्य किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद वाणिज्यिक संचालन शुरू करने वाले किसी भी कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केंद्र को निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार अपनी ताप विद्युत क्षमता के न्यूनतम चालीस प्रतिशत (40%) के समतुल्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करनी होगी या ऐसी क्षमता के समतुल्य नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति करनी होगी।
- vii. सरकार ने अधिक मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समायोजित करने और विद्युत बाजारों के गहन होने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए रियल-टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम) की शुरुआत की है।
- viii. वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री निर्दिष्ट की गई है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधान पेश किए गए हैं। दायित्व से परे खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, व्यापार योग्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3059

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ग्राम उजाला योजना

3059. श्री संजय सेठ:

श्रीमती वीणा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्राम उजाला योजना की विशेषताएं और उद्देश्य क्या-क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या हासिल किए गए हैं;
- (ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इस योजना को कार्यान्वित किया गया है/कार्यान्वित किए जाने का विचार है;
- (ग) क्या ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों के साथ-साथ झारखंड के कई क्षेत्रों की पहचान की गई है अथवा उनका चयन किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो झारखंड और बिहार के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;
- (ङ) उक्त योजना के अंतर्गत झारखंड और बिहार को कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है;
- (च) उक्त योजना के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (छ) क्या सरकार का विचार ग्राम उजाला योजना का दूसरा चरण शुरू करने का है; और
- (ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मार्च, 2021 में आरा जिला, बिहार और वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस स्कीम के अन्तर्गत पांच राज्यों, नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में ग्रामीण उपभोक्ताओं को, किफायती मूल्य पर, 7 वॉट तथा 12 वॉट के लगभग एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे।

(ग) और (घ) : झारखंड राज्य में ग्राम उजाला लागू नहीं किया गया। यह स्कीम बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में लागू की गई थी, जहां क्रमशः 1,98,634 और 82,742 एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे। बिहार में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कीम के अन्तर्गत लगभग 37.62 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए।

(ङ) : राज्यों/केंद्र सरकार द्वारा ग्राम उजाला स्कीम के वित्तपोषण के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं है। यह कार्बन क्रेडिट के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्वों सहित एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड की एक स्व-वित्तपोषित पहल है।

(च) : लाभार्थियों के बीच एलईडी बल्बों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रेडियो/टीवी और मीडिया के अन्य माध्यमों जैसे बैनरों, पोस्टरों, लीफलेटों आदि के माध्यम से स्थानीय/राष्ट्रीय मीडिया आउटरीच सूचना प्रसार जैसी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां नियमित रूप से की जा रही हैं।

(छ) से (ज) : ग्राम उजाला स्कीम का विस्तार वित्तीय व्यवहार्यता के संदर्भ में उपरोक्त स्कीम के परिणाम के अध्ययन होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-3066

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

हाइटेशन विद्युत खंभों/तारों की मजबूती

3066. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार के समन्वय से हाइटेशन विद्युत खंभों/तारों की मजबूती की नियमित जांच करने के लिए आज की तारीख तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है क्योंकि आज की तारीख तक अन्य राज्यों में हाइटेशन विद्युत खंभों/तारों के गिरने की कुछ घटनाएं हुई हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, विद्युत वितरण एक लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और आपूर्ति के क्षेत्र में एक कुशल, सुरक्षित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित करना और इसे बनाए रखना संबंधित वितरण लाइसेंसधारक का दायित्व है। अतः, यह वितरण यूटिलिटीयों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए एचटी/एलटी लाइनों के खंभों/तारों की मजबूती की जांच सहित वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करें। इसके अतिरिक्त, नियमित गश्त के दौरान, यूटिलिटी कर्मचारियों द्वारा फॉल्ट ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन हाई टेंशन लाइनों और अतिरिक्त हाई टेंशन लाइनों और कंडक्टरों की जांच की जा रही है, जिनमें टावरों/खंभों के हिस्सों जैसे कि क्रॉस आर्म्स, इंसुलेटर, हार्ड-वेयर और कंडक्टर, जंपर्स की सुदृढ़ता के लिए नियमित अंतराल पर उनकी जांच की जाती है। साथ ही, नींव, स्टब, टावरों के अंगों/एच-फ्रेम संरचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और यह सुधार सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, जबकि स्टब को मजबूत करने के लिए खराब संरचनाओं को वार्षिक आधार पर आर एंड एम योजना के अंतर्गत बदल दिया जाता है।

सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, पावर स्टेशनों, उप-स्टेशनों, पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करता है। यह विद्युत प्रतिष्ठानों, ओवरहेड लाइनों और अन्य के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है। ये विनियम विद्युत स्थापनाओं पर लागू होते हैं, जो विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनें और व्यक्ति या संस्थाएं विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति या विद्युत खपत जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 में आपदा संभावित क्षेत्रों/तटीय क्षेत्रों में खंभों/तारों को मजबूत करने के प्रावधान हैं:

- (i) तटीय क्षेत्रों में, अधिक मजबूत पोल जैसे रेल पोल या स्पन पोल या भूमिगत केबल का उपयोग किया जाएगा।
- (ii) जंग को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में खुले कंडक्टरों पर उपयुक्त इंसुलेटिंग पैट का अधिमानतः प्रयोग किया जाएगा।

सीईए ने मई, 2021 में "तटीय क्षेत्र में साइक्लोन रेजिलिएंट रोबस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (टीएंडडी) इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी टास्क फोर्स की रिपोर्ट" भी तैयार की, जिसे जून, 2021 में विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को चक्रवातों से निपटने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय करने के लिए प्रचलित की गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3068

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों का विद्युतीकरण

3068. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:

श्री देवजी पटेल:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों का पूर्ण विद्युतीकरण कर लिया है;

(ख) यदि 'हां', तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सौभाग्य योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित देश भर में घरों के विद्युतीकरण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किसी नई परियोजना को अनुमोदित/स्वीकृत किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुरू की। सौभाग्य के अंतर्गत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था। देश के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के घरों सहित, कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था।

इसके अतिरिक्त पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)

कार्यान्वित की है। उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत, 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थीं, जिसके अंतर्गत 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था; 2927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए हैं, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है तथा 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2023 में विद्युत आपूर्ति बढ़कर 23.78 घंटे हो गई है। उपरोक्त स्कीमें दिनांक 31-03-2022 से बंद हो चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने केंद्रीय सरकार से 97,631 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) को भी मंजूरी दे दी।

सौभाग्य के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की संख्या और वितरित किए गए अनुदान के राज्य-वार (महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित) ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I** एवं **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत आने वाली चुनौतियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

- (i). दुर्गम और दूरदराज इलाकों में बिखरे हुए घर
- (ii). दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, नदी/दलदली/बर्फ से घिरे क्षेत्र
- (iii). हेड लोडिंग, हेलीकॉप्टर, बांस पुल, राफ्ट, नाव आदि द्वारा सामग्री का परिवहन।
- (iv). खराब/अपर्याप्त विद्युत अवसंरचना
- (v). वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित
- (vi). वन क्षेत्र - मंजूरी की आवश्यकता
- (vii). स्थानीय स्तर पर सामग्रियों (जैसे खंभे, वितरण ट्रांसफार्मरों, मीटरों, आदि) की अनुपलब्धता
- (viii). राइट- ऑफ-वे संबंधी विभिन्न मुद्दे।

(ङ) से (ज) : भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप उन गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए चल रही आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत राज्यों का समर्थन कर रही है जो सौभाग्य के अंतर्गत छूट गए थे। भारत सरकार ने आरडीएसएस के अंतर्गत ऐसे छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए मानदंडों को मंजूरी दे दी है (प्रतिलिपि **अनुबंध-III** में संलग्न है) तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विद्युतीकरण के लिए लगभग 4.96 लाख छूटे हुए घरों को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	प्रस्तावित घरों की संख्या	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
राजस्थान	1,90,959	459.18
उत्तर प्रदेश	2,99,546	338.46
आंध्र प्रदेश	5,577	16.00

इसके साथ-साथ, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत, राज्यों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी अभिचिन्हित लाभार्थी घर दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 3068 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों सहित घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त मंजूरी की अनुमति		डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त अतिरिक्त परिवारों को मंजूरी दी गई		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित किए गए विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041			3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708			1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922			1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444			2,452,444
20	पुद्दुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	210843	52206	2,127,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
	कुल	26,284,350	1,885,374	28,169,724	1,183,870	443,700	28,613,424

* सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3068 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया अनुदान
1	अरुणाचल प्रदेश	160
2	असम	705
3	बिहार	491
4	छत्तीसगढ़	379
5	हरियाणा	8
6	हिमाचल प्रदेश	2
7	जम्मू एवं कश्मीर	51
8	झारखंड	284
9	कर्नाटक	48
10	केरल	66
11	लद्दाख	-
12	मध्य प्रदेश	554
13	महाराष्ट्र	218
14	मणिपुर	91
15	मेघालय	206
16	मिजोरम	41
17	नागालैंड	54
18	ओडिशा	323
19	पंजाब	1
20	राजस्थान	305
21	सिक्किम	2
22	तेलंगाना	17
23	त्रिपुरा	267
24	उत्तर प्रदेश	1,815
25	उत्तराखंड	50
26	पश्चिम बंगाल	169
	कुल	6,305

टिप्पणी: सौभाग्य स्कीम अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई थी।

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3068 के भाग (ड) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आरडीएसएस के अंतर्गत छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए मानदंड

- i. पूरी तरह से गैर-विद्युतीकृत बस्ती में विद्युतीकरण की लागत [जिसमें विद्युत के खंभों तक नेटवर्क वृद्धि लागत (डीटी, एचटी और एलटी) शामिल है] 22,500 रुपये प्रति घर से अधिक नहीं होगी और आंशिक रूप से विद्युतीकृत बस्ती में 11,250 रुपये प्रति घर से अधिक नहीं होगी।
- ii. विशेष श्रेणी के राज्यों और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए, विद्युतीकरण की लागत ऊपर उल्लिखित विद्युतीकरण की लागत का 1.5 गुना (अर्थात् पूरी तरह से गैर-विद्युतीकृत बस्तियों के लिए 33,750 रुपये और आंशिक रूप से विद्युतीकृत बस्तियों के लिए 16875 रुपये) माना जा सकता है।
- iii. आरडीएसएस के अंतर्गत वितरण अवसंरचना के कार्यों के लिए घरेलू विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार का अनुदान निधियन पैटर्न के अनुसार होगा।
- iv. पोल से डाउनस्ट्रीम तक सेवा कनेक्शनों से संबंधित लागत आरडीएसएस के कार्यक्षेत्र में नहीं होगी और इसे डिस्कॉमों द्वारा अपने स्वयं की निधियों के माध्यम से किया जाएगा।
- v. दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित गैर-विद्युतीकृत घरों (सौभाग्य से पहले) के मामलों पर ही विचार किया जाएगा।
- vi. 10 घरों से अधिक घरों वाली पूर्णतः गैर-विद्युतीकृत बस्तियों के संबंध में वित्तीय सहायता के लिए केवल आरडीएसएस के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा। तथापि, विशेष श्रेणी के राज्यों और रेगिस्तानी क्षेत्रों के मामले में, 5 घरों से अधिक घरों वाली पूर्णतः गैर-विद्युतीकृत बस्तियों पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आंशिक रूप से विद्युतीकृत बस्तियों के लिए, किसी भी संख्या की गैर-विद्युतीकृत घरों वाली बस्तियों पर विचार किया जा सकता है।
- vii. सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को केवल मीटर कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
- viii. जिन चूककर्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं, उन्हें स्कीम के अंतर्गत नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। तथापि, इस स्कीम के पूर्वावलोकन में से इस संबंध में यूटीलिटियां अपने मानदंडों अथवा नियमों अथवा विनियमों के अनुसार पुरानी देयराशियों के निपटान तथा पुनः कनेक्शन देने पर विचार कर सकती हैं।
- ix. इस स्कीम के अंतर्गत अस्थायी शिविर स्थलों में रहने वाले प्रवासी प्रकृति के घरों को शामिल नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे घर दिशानिर्देशों के अनुसार अपने स्थायी निवास स्थान पर विद्युत कनेक्शन के लिए पात्र होंगे।
- x. कुछ किसानों/ग्रामों ने खेतों में भी घर बना लिए हैं और उनके पास मुख्य गाँव में रहने के और स्थान भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों, जिनके खेतों में बिखरे हुए घर हैं, के लिए ग्रिड का विस्तार व्यवहार्य एवं लागत प्रभावी नहीं होगा और इसलिए इन्हें इस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे घर दिशानिर्देशों के अनुसार अपने स्थायी निवास स्थान पर विद्युत कनेक्शन के लिए पात्र होंगे।
- xi. उपर्युक्त लागत मानदंडों से अधिक की कोई भी लागत संबंधित राज्य/डिस्कॉमों द्वारा वहन की जाएगी।
- xii. निधि जारी करना लागत मानदंड के अधीन वास्तविक व्यय पर आधारित होगा।

- xiii. घर के विद्युतीकरण कार्यों के लिए निधियां जारी करना विद्युतीकृत घरों के ब्यौरे प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा। डिस्कॉमों को, प्रति घर आधार पर, 30% की अग्रिम धनराशि जारी की जाएगी तथा शेष 70% तब जारी की जाएगी, जब घर का कनेक्शन सक्रिय हो जाएगा और डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ता विवरण (उपभोक्ता का नाम, उपभोक्ता का पता, उपभोक्ता संख्या, कनेक्शन जारी करने की तारीख, मीटर नंबर आदि) प्रस्तुत किए जाएंगे। डिस्कॉम को आरडीएसएस के अंतर्गत निधि जारी करने के लिए डिस्कॉम की बिलिंग प्रणाली से उत्पन्न इन ब्यौरों को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे ब्यौरे सौभाग्य स्कीम की तरह ही वेब-पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

आरडीएसएस के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण का प्रस्ताव संबंधित डिस्कॉमों द्वारा नीचे दिए गए संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। नोडल एजेंसी डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर का मूल्यांकन करेगी और एमसी को विचार-विमर्श के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी।

घरों के विद्युतीकरण संबंधी कार्यों हेतु डीपीआर

डिस्कॉम नाम: _____

जिले का नाम	ब्लॉक के का नाम	जनगणना कोड वाले राजस्व गाँव का नाम	माजरा /आवास का नाम	घरेलू घरों की कुल संख्या	पहले से ही विद्युतीकृत घरों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या	विद्युतीकरण की अनुमानित लागत

निगरानी समिति ने अपनी 19वीं बैठक में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निम्नलिखित क्षेत्रों में छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए मौजूदा मानदंडों को लागू करने संबंधी आवेदन को अनुमोदन प्रदान किया है।

संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र

गृह मंत्रालय द्वारा अभिचिन्हित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले

150 व्यक्ति/वर्ग किमी से कम जनसंख्या घनत्व वाले उप-जिले

उपरोक्त मानदंडों के अनुसार राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव को नोडल एजेंसियों को प्रस्तुत करना होगा

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3075
जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता

3075. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुल विद्युत खपत का लगभग एक बड़ा हिस्सा भवनों द्वारा उपयोग किया जाता है और अगले बीस वर्षों में यह आंकड़ा और अधिक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में यह सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता लागू की गई है कि भवनों का निर्माण संवहनीय तरीके से किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्तमान में, वाणिज्यिक और आवासीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में कुल विद्युत खपत का लगभग 33 प्रतिशत है। अगले बीस वर्षों के लिए श्रेणी-वार खपत का अनुमान नहीं लगाया गया है; तथापि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई बीसवीं विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्यिक और आवासीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में संयुक्त खपत वर्ष 2031-32 तक कुल विद्युत खपत का लगभग 40 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) : ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि नए वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ऐसी विशेषताओं के साथ किया जाए जो ऊर्जा की खपत में कटौती को सक्षम बनाते हैं। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के ऊपर है। अक्टूबर, 2023 तक; 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्यों में 'ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता' अधिसूचित कर दी थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3083

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ताप विद्युत संयंत्रों में पानी की खपत

3083. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, देश भर में समुद्र के पानी के अलावा अन्य माध्यम का उपयोग करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में पानी की खपत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना, तत्पश्चात दिनांक 28.06.2018 की यथा संशोधित अधिसूचना के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जल की खपत संबंधी मानदंडों को अधिसूचित किया है। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) की दिनांक 05.09.2022 की अधिसूचना के माध्यम से इसके अनुपालन की समय सीमा को संशोधित किया गया है।

मानदंडों का अनुपालन करने हेतु, जल की खपत को कम करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं :

- i. वातानुकूलित कंडेनसर (एसीसी) प्रौद्योगिकी को अपनाना - एनटीपीसी की दो परियोजनाओं अर्थात् उत्तरी कर्णपुरा एसटीपीपी (3x660 मेगावाट) और पतरातू एसटीपीपी (3x800 मेगावाट) में एसीसी को कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसमें से, उत्तरी कर्णपुरा की पहली यूनिट दिनांक 18.01.2023 को आरंभ हो गई है।
- ii. सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों (एसटीपी) के 50 किमी के दायरे में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए शोधित सीवेज के पानी का अनिवार्य उपयोग - भारत सरकार ने दिनांक 28.01.2016 को नई टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि नगर पालिका/स्थानीय निकायों/सदृश संगठन के एसटीपी के 50 किमी के दायरे में स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्र(त्रों), एसटीपी की निकटता की दृष्टि से, इन निकायों द्वारा उत्पादित सीवेज शोधित जल का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। अब तक, देश में 8 कोयला, लिग्नाइट और गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र अपने संयंत्रों में एसटीपी पानी का उपयोग कर रहे हैं।
- iii. ड्राई फ्लाइंग ऐश हैंडलिंग सिस्टम और हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल सिस्टम (एचसीएसडी) - ये राख प्रबंधन तकनीकें राख प्रबंधन के लिए जल की आवश्यकता को कम करती हैं जिससे संयंत्रों में जल की खपत कम हो जाएगी।
- iv. ऐश वाटर री-सर्कुलेशन सिस्टम (एडब्ल्यूआरएस) कार्यान्वित किया जाता है जहां राख के तालाब से जल पुनर्प्राप्त किया जाता है तथा प्रणाली में पुनः उपयोग किया जाता है।
- v. जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम - संयंत्र में उत्पन्न अपशिष्ट जल का उपयोग निम्न श्रेणी के अनुप्रयोगों जैसे राख प्रबंधन, कोयले की राख का शमन और बागवानी आदि के लिए किया जाता है। शेष अपशिष्ट जल को उचित रूप से शोधित किया जाता है और संयंत्र की सकल जल खपत को कम करने के लिए उपभोग्य जल प्रणाली में वापस पुनर्चक्रित किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3099

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना का कार्यान्वयन

3099. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 और 2019-20 के बीच तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ) में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के कार्यान्वयन से टीएएनजीईडीसीओ को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद नहीं मिली है क्योंकि इसका ऋण सितम्बर, 2015 के 81,312 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2020 में 1.23 लाख करोड़ रुपए हो गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का उत्तरी चेन्नई चरण-III, कुंडा और उडनगुडी में अपनी विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए टीएएनजीईडीसीओ को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) केन्द्र सरकार द्वारा जून, 2021 से टीएएनजीईडीसीओ को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि प्रदान की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : दक्षता सुधारों और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम) के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नअराउंड के समग्र उद्देश्य से उदय स्कीम को आरंभ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने सुधार की सूचना दी जिसमें वित्तीय वर्ष 2017 में 23.66% से घटकर वित्तीय वर्ष 2020 में 20.93% तक की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी शामिल है। इसी तरह, तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनजेडको) की एटीएंडसी हानियां वित्तीय वर्ष 2017 में 18.23% से घटकर वित्तीय वर्ष 2020 में 13.60% हो गईं और प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2023 में टैनजेडको की हानियां और कम होकर 10.23% हो गईं हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटियों की देनदारियां स्वयं राज्यों की आकस्मिक देनदारियां हैं, उदय स्कीम में यह परिकल्पना की गई कि दिनांक 30.09.2015 तक की स्थिति के अनुसार राज्य विकास ऋण (एसडीएल) बांड जारी करते हुए राज्य डिस्कॉम के ऋण का 75% अधिग्रहण करेंगे। तमिलनाडु के लिए उदय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिनांक 9 जनवरी, 2017 को हस्ताक्षर किया गया था। एमओयू के अनुसार,

सितंबर 2015 के अंत में टैनजेडको का बकाया ऋण 81,312 करोड़ रुपये था, जिसमें से डिस्कॉम का ऋण 30,420 करोड़ रुपये था, जबकि शेष ऋण उत्पादन व्यवसाय के अनुरूप था। तमिलनाडु सरकार (जीओटीएन) को दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक की स्थिति के अनुसार बकाया "डिस्कॉम ऋण" का 75% अर्थात वर्ष 2016-17 के दौरान 22,815 करोड़ रुपये का अधिग्रहण करना था। एमओयू के अनुरूप, तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-एसएलआर बांड जारी करते हुए डिस्कॉम के 22,815 करोड़ रुपये के ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 तक सक्रिय रूप से तमिलनाडु सरकार द्वारा 22,815 करोड़ रुपये की यह राशि टैनजेडको को अनुदान के रूप में अंतरित की गई थी। इसके वर्ष-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

वर्ष 2016 के बाद, वित्तीय संस्थानों और बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से टैनजेडको द्वारा शुरू की गई उत्पादन और वितरण सुदृढीकरण परियोजनाओं के लिए अधिकांश क्षमता वृद्धि की गई है, जो ऋण में वृद्धि का एक कारण है। इसके साथ-साथ, उदय के दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ संशोधन का प्रत्येक वर्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिसके कारण भी ऋण में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, एमओयू के अनुसार, तमिलनाडु सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 तक क्रमबद्ध तरीके से टैनजेडको की भावी हानियों का अधिग्रहण करना था। तमिलनाडु सरकार ने, वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 10,132 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 9,366 करोड़ रुपये की हानियों का अधिग्रहण किया। इसके वर्ष-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से अगले वर्ष तक के दौरान, चालू वर्ष के टैनजेडको के 100% हानियों का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11,954.64 करोड़ रुपये तक की टैनजेडको की हानियों का अधिग्रहण किया गया है।

(ग) : नॉर्थ चेन्नई स्टेज-II टीपीएस, कुंडा एचईपी और उडानगुडी टीपीएस परियोजना के लिए आरईसी लिमिटेड द्वारा टैनजेडको को संस्वीकृत किए गए ऋण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	आरईसी द्वारा संस्वीकृत मूल ऋण राशि (करोड़ रुपये में)	अतिरिक्त ऋण राशि (करोड़ रुपये में)
1)	नॉर्थ चेन्नई स्टेज-III टीपीएस	5,006.99	1,036.75 (आरईसी द्वारा स्वीकृत)
2)	कुंडा एचईपी	1,450.00	1,270.82 (आरईसी द्वारा स्वीकृत)
3)	उडानगुडी टीपीएस परियोजना	10,453.00	प्रस्ताव पीएफसी के पास विचाराधीन है

(घ) : जून, 2021 से केंद्रीय वित्तीय संस्थानों से टैनजेडको को संस्वीकृत किए गए ऋणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.	आरईसी लिमिटेड	24,090 करोड़ रुपये
2.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड	17,121 करोड़ रुपये
कुल		41,211 करोड़ रुपये

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3099 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तालिका (1): अनुदान के रूप में वास्तविक अंतरण निम्नलिखित तालिका में वर्णित है:-

वर्ष	एमओयू के अनुसार अधिगृहित कुल ऋण	एमओयू के अनुसार अनुदान के रूप में अंतरण	वास्तविक अधिगृहित ऋण	वास्तविक अनुदान
2016-17	75%	4563	75%	-
2017-18	-	4563	-	4563
2018-19	-	4563	-	4563
2019-20	-	4563	-	4563
2020-21	-	4563	-	4563
2021-22	-	-	-	4563
कुल	75%	22,815	75%	22,815

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3099 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तालिका (2): हानि अधिग्रहण: एमओयू के अनुसार, तमिलनाडु सरकार को क्रमबद्ध तरीके से टेनजेडको की भावी हानियों का अधिग्रहण करना था। तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया वास्तविक हानि अधिग्रहण इस प्रकार है:

विवरण	लाभ/(हानि) कर से पहले**	राज्य सरकार अधिगृहित किए जाने वाली हानियाँ	तमिलनाडु सरकार द्वारा वास्तविक हानि अधिगृहित
2016-17	(4349)	-	-
2017-18 @5% पीवाई हानि	(7761)	217	217
2018-19 @10% पीवाई हानि	(12,623)	776	776
2019-20 @25% पीवाई हानि	(11,965)	3156	-
2020-21 @50% पीवाई हानि	(13,407)	5983	3000 ^
2021-22	-	-	5373 ^
कुल	(50,105)	10,132	9366

**राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के वार्षिक कार्य-निष्पादन संबंधी पीएफसी रिपोर्ट के अनुसार

^ वर्ष 2020-21 के लिए टेनजेडको लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3118

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के कारण विस्थापित लोग

3118. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अधिनियम के बाद से झारखंड के क्षेत्र में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं, विशेषकर चन्द्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन और बोकारो ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना के कारण विस्थापित लोगों की संख्या क्या है;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्थापित और प्रभावित लोगों का पर्याप्त और समुचित पुनर्वास हो सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं तथा भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार और अन्य कानून के तहत परियोजना-वार कितने विस्थापित लोगों को वैकल्पिक आवास सुविधा प्रदान की गई है;
- (ग) सरकारी नीति, योजनाओं और अन्य-कानून के तहत झारखंड में परियोजना-वार कितने विस्थापित लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है; और
- (घ) झारखंड में परियोजना-वार भू-अर्जन के बदले क्षतिपूर्ति पाने वाले विस्थापित लोगों की संख्या क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : झारखंड क्षेत्र में स्थित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के सीटीपीएस और बीटीपीएस की स्थापना के कारण प्रभावित व्यक्तियों का परियोजना-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

परियोजना का नाम	चंद्रपुर टीपीएस*	बोकारो टीपीएस*	कोडरमा टीपीएस*	तिलैया एचईपी**	मैथन एचईपी**	पंचेत एचईपी**
प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या	829	1697	7410	16120	28030	41461

*टीपीएस- ताप विद्युत स्टेशन; ** एचईपी - जलविद्युत परियोजना

(ख) : झारखंड क्षेत्र में स्थित डीवीसी की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अधिग्रहित सभी भूखंड भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए थे। परियोजनाओं नामतः बीटीपीएस, सीटीपीएस, तिलैया जल विद्युत परियोजना, मैथन जल विद्युत परियोजना और पंचेत जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन वर्ष 1963 तक पूरा हो गया था और केटीपीएस परियोजना के लिए, भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन वर्ष 2013 से पहले पूरा हो गया था। डीवीसी ने प्रभावित परिवारों को उनके द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार मुआवजा या वैकल्पिक भूमि प्रदान की थी। वैकल्पिक भूमि का विकल्प चुनने वाले प्रभावित परिवारों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

परियोजना का नाम	बोकारो टीपीएस	चंद्रपुर टीपीएस	कोडरमा टीपीएस	तिलैया एचईपी	मैथन एचईपी	पंचेत एचईपी
प्रभावित परिवारों की संख्या	371	480	लागू नहीं ***	2691	5211	10339
वैकल्पिक भूमि का विकल्प चुनने वाले प्रभावित परिवारों की संख्या	35	शून्य	लागू नहीं ***	1001	57	शून्य

*** केटीपीएस में प्रभावित परिवारों के सभी 7410 व्यक्तियों ने नकद मुआवजे का विकल्प चुना।

(ग) : डीवीसी द्वारा दिए गए रोजगार के परियोजना-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

परियोजना का नाम	चंद्रपुर टीपीएस	बोकारो टीपीएस	कोडरमा टीपीएस	तिलैया एचईपी	मैथन एचईपी	पंचेत एचईपी
रोजगार दिए जाने वाले प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	152	133	लागू नहीं***	12	194	90

***केटीपीएस में प्रभावित परिवारों के सभी 7410 व्यक्तियों ने नकद मुआवजे का विकल्प चुना।

(घ) : परियोजनाओं नामतः बीटीपीएस, सीटीपीएस, तिलैया एचईपी, मैथन एचईपी और पंचेत एचईपी के संबंध में परिवार-वार मुआवजा प्रदान किया गया था। केटीपीएस के मामले में, व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किया गया था। भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा दिए जाने वाले, परिवारों की संख्या के परियोजना-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

विवरण	चंद्रपुर टीपीएस	बोकारो टीपीएस	कोडरमा टीपीएस	तिलैया एचईपी	मैथन एचईपी	पंचेत एचईपी
भूमि के बदले भूमि स्वीकार करने वाले परिवारों की कुल संख्या	शून्य	35	लागू नहीं	1001	57	शून्य
नकद मुआवजा स्वीकार करने वाले परिवारों की कुल संख्या	480	336	7410****	1683	5154	10339

**** केटीपीएस में प्रभावित परिवारों से संबंधित सभी 7410 व्यक्तियों ने नकद मुआवजे का विकल्प चुना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3131

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

विद्युत खपत की मांग

3131. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत खपत की औसत मांग 215 गीगावाट है और व्यस्ततम समय के दौरान आपूर्ति 192 गीगावाट रही है जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में विद्युत की भारी कटौती होती है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खपत की बढ़ती मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2030 तक विद्युत खपत की मांग को पूरा करने के लिए क्या प्रस्ताव हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले कुछ वर्षों में विद्युत क्षेत्र में बदलाव आया है। मांग में निम्न कारणों (i) हाल के वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास, (ii) 2.86 करोड़ घरों को नए कनेक्शन प्रदान करने और (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों में 12.5 घंटे (2014-15) से 20.6 (2022-23) की वृद्धि एवं शहरी क्षेत्रों में 23.8 घंटे की आपूर्ति के कारण तेजी से वृद्धि हुई है और हमने मांग पूरी कर ली है। व्यस्ततम मांग वर्ष 2013-14 में 135918 मेगावाट से बढ़कर सितंबर, 2023 में 243271 मेगावाट हो गई है। यह लगभग 79% की वृद्धि है और मांग पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2014 की तुलना में देश में ऊर्जा आवश्यकता में 50.8% की वृद्धि हुई है। अनेक ठोस उपायों के कारण उत्पादन क्षमता मार्च, 2014 में 248554 मेगावाट से 70% तक बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 425536 मेगावाट हो गई है।

अप्रैल, 2023 से नवंबर, 2023 तक के महीनों के दौरान देश की अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं। अप्रैल, 2023 से नवंबर, 2023 तक की अवधि के दौरान ऊर्जा आवश्यकता तथा आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर 0.1% से 0.6% के बीच है। यहां तक कि ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर आम तौर पर देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता के अलावा, अन्य कारकों जैसे कि राज्य पारेषण नेटवर्क में बाधाएँ, वितरण नेटवर्क, डिस्कॉमों की वित्तीय बाधाएँ आदि के कारण था।

(ख) और (ग) : पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। हमने पिछले नौ (09) वर्षों में 193794 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष में बदल गया है। इसके परिणामस्वरूप, व्यस्ततम मांग और व्यस्ततम मांग पूर्ति के बीच अंतर वर्ष 2013-14 में 4.5% से घटकर वर्ष 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) में 1.4% हो गया है और ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच अंतर वर्ष 2013-14 में 4.2% से घटकर वर्ष 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) में 0.3% हो गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(क) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यम और दीर्घावधिक आधार पर देश की विद्युत मांग का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में देश का इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) करता है। नवंबर, 2022 में प्रकाशित 20वीं इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030-31 में देश में व्यस्ततम विद्युत की मांग 350670 मेगावाट होने की उम्मीद है।

हमने देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2023-32 के बीच अनुमानित क्षमता वृद्धि नीचे दी गई है:

क) 27180 मेगावाट थर्मल क्षमता निर्माणाधीन है, 12000 मेगावाट के लिए बोली लगाई जा चुकी है और 19000 मेगावाट मंजूरी के अधीन है। वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित थर्मल क्षमता वृद्धि 87910 मेगावाट होगी।

ख) 18033.5 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता (रुकी हुई परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता 42014 मेगावाट होने की उम्मीद है।

ग) 8000 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित न्यूक्लियर क्षमता वृद्धि 12200 मेगावाट होगी।

घ) 78935 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी वर्तमान में निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-32 तक अनुमानित आरई क्षमता वृद्धि 322000 मेगावाट होगी।

इस प्रकार, कुल 132148.5 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित क्षमता वृद्धि 464124 मेगावाट होगी।

(ii) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट अंतरण क्षमता सहित 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,82,767 एमवीए रूपांतरण क्षमता और 80,590 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को पूरे देश को वन फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ने की क्षमता के साथ जोड़ा गया है। भारत का ग्रिड विश्व के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिडों में से एक बनकर उभरा है। पूरे देश को एक

ग्रिड से जोड़ने से देश एक एकीकृत विद्युत बाजार में परिवर्तित हो गया है। वितरण कंपनियां देश के किसी भी कोने में किसी भी उत्पादक से सबसे सस्ती उपलब्ध दरों पर विद्युत खरीद सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरें सस्ती हो सकेंगी।

- (iii) भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। वर्ष 2030 तक 500000 मेगावाट आरई क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को आरई क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 179000 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता पहले से ही एकीकृत है।
- (iv) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना।
- (v) हमने पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डैम) जोड़ते हुए विद्युत बाजार में सुधार किए हैं। इसके साथ-साथ, डिस्कॉमों द्वारा अल्पावधिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) की शुरुआत की गई थी।
- (vi) हमने हरित ऊर्जा कॉरिडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 78935 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।
- (vii) हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2013-14 में 22.62% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.41% हो गई है। जेनकोज के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनकोज की पिछली देय राशियां 1.35 लाख करोड़ रुपये से घटकर 6000 करोड़ रुपये हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉमों को किए गए सब्सिडी भुगतान अद्यतित हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल, 2023 से नवंबर, 2023 माह के दौरान देश की अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे

माह	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
अप्रैल, 2023	1,30,414	1,30,082	332	0.3	2,16,142	2,15,972	170	0.1
मई, 2023	1,36,846	1,36,504	342	0.2	2,21,718	2,21,423	295	0.1
जून, 2023	1,40,520	1,40,276	244	0.2	2,24,106	2,23,292	814	0.4
जुलाई, 2023	1,40,618	1,40,419	199	0.1	2,09,039	2,08,952	87	0.0
अगस्त, 2023	1,52,176	1,51,324	852	0.6	2,38,824	2,36,295	2,529	1.1
सितंबर, 2023	1,41,827	1,41,299	528	0.4	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
अक्टूबर, 2023	1,39,832	1,39,441	391	0.3	2,22,160	2,21,539	621	0.3
नवंबर, 2023	1,20,653	1,20,562	91	0.1	2,04,861	2,04,605	256	0.1
अप्रैल से नवंबर, 2023(*)	11,02,887	10,99,907	2,980	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4

*अनंतिम

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले 5 वर्षों के दौरान ऊर्जा के संबंध में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता		ऊर्जा आपूर्ति		आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	वृद्धि %	(एमयू)	वृद्धि %	(एमयू)	वृद्धि %
2018-19	1,274,595	5.0	1,267,526	5.2	7,070	0.6
2019-20	1,291,010	1.3	1,284,444	1.3	6,566	0.5
2020-21	1,275,534	-1.2	1,270,663	-1.1	4,871	0.4
2021-22	1,379,812	8.2	1,374,024	8.1	5,787	0.4
2022-23	15,11,847	9.6	15,04,264	9.5	7,583	0.5
2022-23 (नवंबर, 2022 तक)	10,15,908	-	10,10,203	-	5,705	0.6
2023-24 (नवंबर, 2023 तक)	11,02,887	8.6	10,99,907	8.9	2,980	0.3

पिछले 5 वर्षों के दौरान व्यस्ततम के संबंध में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे

वर्ष	व्यस्ततम मांग		व्यस्ततम पूर्ति		पूरी नहीं की गई मांग	
	(मेगावाट)	वृद्धि %	(मेगावाट)	वृद्धि %	(मेगावाट)	वृद्धि %
2018-19	177,022	7.9	175,528	9.2	1,494	0.8
2019-20	183,804	3.8	182,533	4.0	1,271	0.7
2020-21	190,198	3.5	189,395	3.8	802	0.4
2021-22	203,014	6.7	200,539	5.9	2,475	1.2
2022-23	2,15,888	6.3	2,07,231	3.3	8,657	4.0
2022-23 (नवंबर, 2022 तक)	2,15,888	-	2,07,231	-	8,657	4.0
2023-24 (नवंबर, 2023 तक)	2,43,271	12.7	2,39,931	15.8	3,340	1.4

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3171
जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम

3171. श्री विजय कुमार दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम (एसएलएनपी) के तहत उत्तर प्रदेश में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को एसएलएनपी के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से प्रतिस्थापित करने की परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। अब तक, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य में 12,90,949 ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों को प्रतिस्थापित/संस्थापित किया है।

(ग) : स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम एक स्व-वित्तपोषित कार्यक्रम है, जहां शहरी स्थानीय निकाय ग्राहक और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा एसएलएनपी के लिए कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3181

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

उच्चशक्ति परीक्षण केंद्र सुविधा

3181. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उच्चशक्ति प्रयोगशाला, बंगलुरु स्थित सिंथेटिक परीक्षण-केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च शक्ति प्रयोगशाला, बंगलुरु में उक्त परीक्षण केन्द्र के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2022 को केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) को "हाई पावर लैबोरेट्री, बेंगलुरु में मौजूदा सिंथेटिक परीक्षण सुविधा का आधुनिकीकरण" नामक एक परियोजना घटक को मंजूरी दे दी गई थी। परियोजना घटक का परिव्यय 40.00 करोड़ रुपये है।

(ग) : संस्वीकृति आदेश के अनुसार, परियोजना पूरी होने की अवधि पहली किस्त जारी होने की तिथि से 36 महीने है। तथापि, निम्नलिखित कारणों से सीपीआरआई द्वारा परियोजना शुरू नहीं की जा सकी:-

- (i) कोई भी प्रतिष्ठित विक्रेता परियोजना के लिए आवश्यक उपकरण निर्मित करने के लिए तैयार नहीं था।
- (ii) मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और अन्य संभावित प्रतिष्ठित वैश्विक विक्रेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।
- (iii) रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत की गई थी और कई विस्तारों के बावजूद कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3203

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निधियों का आबंटन

3203. डॉ. जयंत कुमार राय:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के जलपाईगुडी और बोलंगीर जिलों में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत क्रमशः कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त जिलों के जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन, भूमिगत केबल, एरियल बंच्ड केबल आदि जैसे कार्यों सहित उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीमों के अंतर्गत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निधियाँ का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछली किस्तों में जारी निधियाँ के उपयोग की रिपोर्ट और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर किस्तों में निधियाँ जारी की गई थीं।

राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति की सिफारिश सहित आईपीडीएस के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्य को यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार सर्किल-वार मंजूरी दी गई थी। आईपीडीएस के अंतर्गत, जलपाईगुड़ी सर्किल, पश्चिम बंगाल तथा बलांगीर सर्किल, ओडिशा को जारी किए गए भारत सरकार के अनुदान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(रुपए करोड़ में)

राज्य	सर्किल	पात्र परियोजना समापन लागत	भारत सरकार कुल संवितरित अनुदान*
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	40	24
ओडिशा	बलांगीर	47	28

*इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्यता के आधार पर

जलपाईगुड़ी जिला, पश्चिम बंगाल तथा बलांगीर जिला, ओडिशा में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियाँ के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(रुपए करोड़ में)

राज्य	जिला	स्कीम	समापन लागत	जारी जीबीएस
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	डीडीयूजीजेवाई	157.64	114.8
ओडिशा	बलांगीर	डीडीयूजीजेवाई-आरई-12वीं योजना*	228.16	126.93
		डीडीयूजीजेवाई	73.79	44.42

*वर्ष 2014 के बाद अवार्ड की गई आरई परियोजनाएं

(ख) और (ग) : भारत में विद्युत क्षेत्र विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष वाले देश में परिवर्तित हो गया है। विभिन्न स्रोतों से कुल 1,93,794 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हासिल की गई है - जिससे क्षमता मार्च, 2014 में 2,48,554 मेगावाट से 70 प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 4,25,536 मेगावाट हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,82,767 एमवीए परिवर्तन क्षमता एवं 80,590 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को जोड़ा गया है, जिससे पूरे देश को 1,16,540 मेगावाट परिवर्तित करने की क्षमता के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ा गया है।

भारत सरकार की आईपीडीएस एवं डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अन्तर्गत, उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉमों की एटीएंडसी हानियां वर्ष 2014-15 में 25.72% से कम होकर वर्ष 2022-23 में 15.41% (अनंतिम) हो गई हैं।

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से देश में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) भी शुरू की।

उपरोक्त वितरण क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत, 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं, जिसके अंतर्गत देश के 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और देश के 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इस प्रकार देश के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, जिसके लिए संतृप्तता प्रमाण पत्र भी दिया गया था।

इसके साथ-साथ, 2927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए हैं, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है और राज्यों में 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। वर्ष 2023 में शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़कर 23.78 घंटे हो गई है।

भारत सरकार ने देश के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 97,631 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) को मंजूरी भी दे दी। इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार उन गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए भी राज्यों का समर्थन कर रही है जो सौभाग्य के अंतर्गत छूट गए थे।

इसके साथ-साथ, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी अभिचिन्हित लाभार्थी घर इन दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3210

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

घरों का विद्युतीकरण

3210. श्री नलीन कुमार कटील:

श्री डी. के सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सभी घरों तक विद्युत-संपर्क उपलब्ध कराने और सभी ग्रामीण और शहरी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का देश के प्रत्येक घर का विद्युतीकरण करने के लिए सौर-ऊर्जा प्रणालियां उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) कार्यान्वित की। तत्पश्चात, भारत सरकार द्वारा देश भर में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) भी आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों से राज्य डिस्कॉमों/विद्युत विभागों द्वारा विद्युतीकरण किया गया था। विद्युतीकरण के बाद, राज्य डिस्कॉमों/विद्युत विभागों को यह प्रमाणित करने के लिए कहा गया था कि सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत किया गया था। सभी प्रतिभागी राज्यों ने प्रमाणित किया कि उन्होंने

सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत कर दिया है। दिनांक 31.03.2022 तक कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे। पिछले 5 वर्षों के दौरान शामिल किए गए घरों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। उपर्युक्त वर्णित दोनों स्कीमें, सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई, दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई हैं।

नए घरों का निर्माण एक गतिशील और निरंतर प्रक्रिया है। केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, किन्हीं छूटे हुए घरों, जो दिनांक 31.03.2019 (सौभाग्य के कार्यान्वयन की अवधि) से पहले मौजूद थे, लेकिन किसी तरह डिस्कोमों द्वारा छूट गए थे, के विद्युतीकरण के लिए चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) स्कीम के अंतर्गत राज्यों को और अधिक समर्थन दे रही है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा विद्युतीकरण के लिए छूटे हुए लगभग 4.96 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	प्रस्तावित घरों की संख्या	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
राजस्थान	1,90,959	459.18
उत्तर प्रदेश	2,99,546	338.46
आंध्र प्रदेश	5,577	16.00

(ग) और (घ) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-II के अंतर्गत, जो दिनांक 31.3.2017 तक कार्यान्वयन के अधीन थे, ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से घरों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। बाद में, यह देखते हुए कि सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम के अंतर्गत देश के सभी गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है, और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य स्कीम के तहत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, एमएनआरई के ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-III के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से घरों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता बंद कर दी गई थी।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यान्वयन के लिए नौ संबद्ध मंत्रालयों के माध्यम से ग्यारह महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 29.11.2023 को 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 8,768 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन में, अन्य बातों के साथ-साथ, 18 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार में स्थित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) क्षेत्रों में, जहां ग्रिड के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण शामिल है। एमएनआरई द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले मिशन के अंतर्गत नई सौर विद्युत स्कीम में, 50000 रुपये प्रति घर की दर से या वास्तविक लागत के अनुसार पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए सोलर ऑफ-ग्रिड प्रणालियों या सोलर मिनी ग्रिड प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 3210 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से पिछले पांच वर्षों के दौरान घरों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त संस्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अधिक अतिरिक्त विद्युतीकृत घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	200,000	19,45,149	480249	381507	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	15,30,708	200,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	18,62,736	212,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	1,200,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
	कुल	2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424

* सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं
